

स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वार्ड संशोधित
वाद पत्र दि. 1.2.2019 का पैथ है।
पुनरुप प्रतिकरी नं. 16/2 व 16/3 की ओर
से वकील श्री कुमोदत भालत द्वारा पत्रालतनामा
प्रस्तुत किया। बी.शा.मि. किया।

1.2.19

पत्रावली पैथ हुई। वकील उभयपक्षा उपस्थित।
वकील द्वारा संशोधित वाद पत्र
प्रस्तुत किया गया। निमकी प्रति वकील प्रतिकरी
के दिव्यार्थ गई। प्रति शामिल पत्रावली की
उसी वकील प्रतिकरी ने संशो. वाद पत्र स्वीकर
कर जाने की सहमति प्रकट की। संशो. वाद
पत्र स्वीकर किया जाता है। प्रकरण में दिनांक
22.10.2018 से पारित प्राथमिक डिक्री की
पालना में तदधीनकार नुकीगोप से विभाजन
प्रस्ताव पूरा में प्राप्त व चुकी है। जिसमें
विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्षा का
सुना गया। वकील उभयपक्षा से मुताबिक
विभाजन प्रस्ताव राजस्व बिल में विभाजन
कर जाने की सहमति प्रकट की। पत्रावली
सुनते अंतिम डिक्री दिनांक - 12.2.2019 का
पैथ है।

12.2.2019

पत्रावली पैथ हुई। वकील प्रतिकरी गच उपस्थित।
प्रकरण में पूरा में पारित प्राथमिक डिक्री
की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुकी है।
जिस पर वकील उभयपक्षा ने सहमति पूरा
में प्रस्तुत की जा चुकी है। अतः वकील उभयपक्षा
की विभाजन प्रस्ताव पर सहमति हुआ।
पर प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की जाती है।
पत्रावली पैथ शुभारंभ के तहत दाखिल कर
वा

वृत्त